डीजी-परिपत्र सं0- 10/2022

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
दिनांकः मई 4 ,2022

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि अर्थ विषयक अपराधों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ0प्र0 से कराये जाने हेतु प्रेषित प्रस्तावों के सम्बन्ध में देखा गया कि पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या 32/2013 दिनांक 01–07–2013 के आलोक में 10 लाख से अधिक धनराशि के प्रकरणों को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्ताव जनपद, रेन्ज अथवा जोन स्तर से बिना परिपत्र का अध्ययन किये इस मुख्यालय प्रेषित कर दिये जाते है। जबकि उक्त परिपत्र द्वारा जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत तीन प्रकार के यूनिट (1)– जघन्य अपराध ईकाई, (2)– आर्थिक अपराध ईकाई व (3)– साइबर अपराध ईकाई का गठन करके कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिए गये है। जिसमें जनपदीय क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत गठित आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 10 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधड़ी अपराध एवं सभी मनीलांड्रिंग के अपराध की विवेचना कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस भ्रान्ति का स्पष्ट समाधान कर लिया जाए क्योंकि अनावश्यक पत्राचार के कारण विवेचना निस्तारण में विलम्ब होता है ।

2. वर्तमान में जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है उनमें निम्नांकित त्रुटियाँ पाई जा रही है :–

- प्रस्ताव अत्यंत विलंब से कई वर्षों बाद प्रेषित किए जाते है ।
- प्रस्ताव में विवेचक के समक्ष आ रही तकनीकी जटिलता,राष्ट्रव्यापी, प्रदेशव्यापी तथा अंतर्जनपदीय होने का कोई उल्लेख नहीं होता है।
- कई बार दो पक्षों के मध्य धोखाधड़ी के प्रस्ताव भेज दिए जाते है ।
- कई बार साधारण धोखाधड़ी के प्रस्ताव मात्र धनराशि के आधार पर भेज दिए जाते है ।
- निर्धारित 16 बिन्दुओं के प्रारूप में कई कालम पूर्ण नहीं किए जाते है ।

वर्तमान में प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत हो रहा कि मात्र विवेचक की आख्या के आधार पर बिना उचित समीक्षा किए प्रस्ताव रूटीन में वरिष्ठ स्तर से अग्रसारित कर दिये जा रहे है । यह आवश्यक है कि भेजे जा रहे प्रस्ताव में यह स्पष्ट समाधान हो जाए कि किन परिस्थितियों में विवेचना जनपद/ क्राइम ब्रांच स्तर से नहीं की जा सकती है।

3. आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से विवेचना कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1320/ 25–8–2019–17 (104) 2018 दिनांक 10–12–2019 के द्वारा 16 बिन्दुओं का प्रारूप

निर्धारित किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि जिन आर्थिक अपराधों में गबन, दुर्विनियोग, राजकोषीय हानि, शासकीय धन की क्षति का अभियोग पंजीकृत हों उसमें शासकीय क्षति की धनराशि वृहद होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हों तथा प्रकरण में तकनीकी जटिलता, आर्थिक अपराध एक से अधिक जनपदों में किया गया पाया जाना एवं ऐसे मामलों की विवेचना जिसमें सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचना कराया जाना आवश्यक पाया जाता हो, ऐसे ही मामलों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संगत अभिलेखों के साथ प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए जाएं ।

4. जिन प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचना कराई जाना सम्भव हो तथा अभियोग सामान्य प्रकृति के हों, उन्हें शासन को प्रेषित न किया जाय । इसी प्रकार दो निजी पक्षों के बीच आपसी लेन देन अथवा व्यापारिक विवादों के प्रकरणों को भी यथा सम्भव ई0ओ0डब्लू0 द्वारा विवेचना हेतु संदर्भित न किए जाएं ।

5. अतः आशय यह है कि धनराशि वृहद होने के साथ–साथ ऐसी तकनीकी जटिलता जिसका सामाधान स्थानीय स्तर से न हो सके तथा अपराध का राष्ट्रव्यापी/ प्रदेशव्यापी प्रभाव हो तथा सूक्ष्म विवेचना जनपद स्तर पर संभव न हो, से सम्बन्धित प्रस्ताव ही आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को प्रेषित किए जाने हेतु विचारणीय माने जाएंगे ।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट,उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/ पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश।